रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 617] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 2018/भाद्र 15, 1940
No. 617] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2018/BHADRA 15, 1940

IndiaCode

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 840(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (चयन समिति की अवधि और नामों के पैनल के चयन की रीति) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (चयन समिति की अवधि और नामों के पैनल के चयन की रीति) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (चयन समिति की अवधि और नामों के पैनल के चयन की रीति) नियम, 2008 में, नियम 4 के उपनियम (3) में "एक सौ बीस दिन" शब्दों के स्थान पर "एक सौ अस्सी दिन" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 5/22/2007-सीएस]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.111(अ) तारीख 27 फरवरी, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 156(अ) तारीख 06 मार्च, 2009 और सा.का.नि. 259(अ) तारीख 20 अप्रैल, 2009 तथा सा.का.नि. 729(अ) तारीख 15 अक्तूबर, 2014 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2018

G.S.R. 840(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 63 read with sub-section (2) of section 9 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Competition Commission of India (Term of the Selection Committee and the manner of selection of panel of names) Rules, 2008, namely:—

1. (1) These rules may be called the Competition Commission of India (Term of the Selection Committee and the manner of selection of panel of names) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Competition Commission of India (Term of the Selection Committee and the manner of selection of panel of names) Rules, 2008, in rule 4, in sub-rule (3), for the words "one hundred and twenty days", the words "one hundred and eighty days" shall be substituted.

[F. No. 5/22/2007-CS]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 111(E), dated 27th February, 2008 and subsequently amended *vide* G.S.R. 156(E), dated 6th March, 2009, G.S.R. 259(E), dated 20th April, 2009 and G.S.R. 729 (E), dated 15th October, 2014.

IndiaCode

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.09.06 23:09:38 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.